प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.08.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 0.712 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 14.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त मौहम्मद मंजूर को जैन कॉलोनी कट के पास थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 0.712 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देता हूँ तथा इन पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मौहम्मद मंजूर पुत्र मुस्तकीम निवासी मोहल्ला नव थाना केतली जिला सहरसा (बिहार) हाल पता इब्राहिम मस्जिद के पास गड्ढा कॉलोनी ख्वाजा पार्क सेकंड इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कुल 0.712 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में भी थाना ट्रोनिका सिटी पर एनडीपीएस एक्ट के 02 अभियोग, जुआ अधिनियम का 01 अभियोग **(कुल 04 अभियोग)** पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष के साथ उन्ही के दामाद अमन द्वारा कई बार वादिया की गैर मौजूदगी मे बलात्कार किया गया जब वादिया को इस बात का पता चला तो अमन द्वारा वादिया की पुत्री को जान से मारने तथा खुद आत्महत्या करने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 65(1)/352/351(2)/351(3) बी0एन0एस व 5L/5N/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गयी, जांच के क्रम मे पीडिता के बयान 180/183 BNSS, मेडीकल व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्त

अमन उपरोक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना व धमकी देना पाये जाने पर अभियुक्त अमन उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 13.08.2026 को जेल भेजा जा चुका है तथा जांच से यह बात प्रकाश मे आयी कि जब अमन द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया तो उस समय अभियुक्त अमन की पत्नी मनीषा द्वारा दुष्कर्म की घटना की वीडियो बनायी गयी तथा अभियोग मे धारा 61(2) बीएनएस व 16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुए अभियोग मे वांछित अभियुक्ता मनीषा पत्नी अमन की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.08.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास के उपरान्त वांछित अभियुक्ता मनीषा पत्नी अमन निवासी मिसलगढी सौभाग्यपुरम शनि मंदिर के पास थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर कृष्णानगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित मोबाइल फोन बरामद हुआ जिसमे पीडिता की अश्लील वीडियो बनायी गयी। अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया की पीडिता मेरी छोटी बहन है तथा मेरे पति का नाम अमन है जिससे करीब 01 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी करीब 20 दिन पहले मेरी छोटी बहन हमारे घर पर रहने आयी थी। जिस पर मेरे पति अमन की नियत खराब हो गयी थी तथा धीरे धीरे करके मेरे पति ने मेरी बहन को अपने प्रेम जाल मे फंसा लिया तथा कई बार मौका पाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध भी बनाये, जिसकी वीडियो मेरे द्वारा अपने मोबाइल फोन पर बनायी गयी एक दिन यह बात घर पर पता चल गयी तो मेरे परिवार वाले ने इस बात की शिकायत पुलिस मे कर दी।

अभियुक्त का नाम व पता

मनीषा पत्नी अमन निवासी मिसलगढी सौभाग्यपुरम शनि मंदिर के पास थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 225 पाउच अवैध देशी शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 15.08.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर यशोदा अस्पताल के पास मेट्रो पिलर संख्या 190 के नीचे, कौशाम्बी क्षेत्र से अभियुक्त **आकाश कुमार मलिक पुत्र सागर कुमार, निवासी नीलू जाटव का किराये का मकान, भोवापुर, कौशाम्बी, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **225 पाउच मिस इंडिया मार्का देशी शराब, उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री हेतु मान्य** बरामद हुई।
बरामदगी के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर शराब के ठेके बंद होने के कारण उसने शराब को पहले से खरीदकर रख लिया था। अभियुक्त ने बताया कि वह उक्त शराब को राह चलते व्यक्तियों, रिक्शा चालकों एवं अन्य लोगों को अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। इसी उद्देश्य से शराब को कम कीमत में खरीदकर लाया था, लेकिन पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आकाश कुमार मलिक पुत्र सागर कुमार, निवासी नीलू जाटव का किराये का मकान, भोवापुर, कौशाम्बी, थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त के कब्जे से **225 पाउच मिस इंडिया मार्का देशी शराब, उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री हेतु मान्य** बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश कुमार मलिक के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल ईंट बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 08.08.2026 को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मोहन नगर से आनंद विहार जाने वाले मार्ग पर मोहन नगर से करीब 400 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। शव काफी पुराना होने के कारण डीकम्पोज की स्थिति में था तथा चेहरे पर कीड़े पड़ने एवं सड़ने के कारण तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी। शव की शिनाख्त हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। दिनांक 12.08.2026 को मृतक के परिजनों द्वारा शव की पहचान **लखेन्द्र सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष** के रूप में की गई। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर थाना साहिबाबाद पर हत्या से संबंधित सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसके क्रम में दिनांक 15.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान घटना में संलिप्त प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण **1. अजीम पुत्र सलीम, 2. आदिल पुत्र इकबाल एवं 3. पप्पी उर्फ शाहनवाज पुत्र इखलाक** को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित को सर्विस रोड नागद्वार से माता मंदिर की ओर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **आलाकत्ल ईंट** बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.08.2026 की रात्रि में मृतक लखेन्द्र मोहन नगर से वसुन्धरा जाने वाली सड़क के किनारे नशे की हालत में बैठा हुआ था। इसी दौरान अभियुक्तगण भी वहां पहुंच गये। मृतक द्वारा अभियुक्तगण के साथ गाली-गलौज की गई, जिसको लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान अभियुक्तगण द्वारा मृतक के सिर पर ईंट से वार कर उसे घायल कर दिया गया तथा उसे कूड़े के ढेर में धक्का दे दिया गया।अभियुक्तगण ने बताया कि मृतक का मोबाइल फोन वहीं जमीन पर पड़ा था, जिसे वे इस आशंका से अपने साथ ले गये कि कहीं मृतक पुलिस को फोन न कर दे। बाद में मोबाइल फोन को चौकी कैला भट्टा पर यह बताते हुए जमा कर दिया कि उन्हें मोबाइल रास्ते में पड़ा मिला था। इसके बाद अभियुक्तगण अपने-अपने घर चले गये आज हम तीनो गाजियाबाद छोड़कर जा रहे थे कि तभी पुलिस द्वारा रास्ते में पकड़ लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. **अजीम पुत्र सलीम**, निवासी छोटा कैला मलिन बस्ती, गली नं0 8, देवी मंदिर के पास, पीएसी चौक, थाना कोतवाली, गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।
2. **आदिल पुत्र इकबाल**, निवासी छोटा कैला मलिन बस्ती, गली नं0 8, देवी मंदिर के पास, पीएसी चौक, थाना कोतवाली, गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
3. **पप्पी उर्फ शाहनवाज पुत्र इखलाक**, निवासी सिकंदराबाद, वंशल हॉल के पीछे, गली नं0 7, थाना सिकंदराबाद, जनपद बुलन्दशहर, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल।
2. घटना में प्रयुक्त 01 आलाकत्ल ईंट।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 30.07.2026 को वादी निवासी गगन विहार, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद द्वारा थाना टीला मोड़ पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 25.07.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नाबालिग की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास प्रारम्भ किए गए।
उक्त प्रकरण में दिनांक 14.08.2026 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त **अंकित कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी C-237, गली नं0 3, गगन विहार, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद, उम्र**

करीब 20 वर्ष को कोयल एन्क्लेव तिकोना पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पीड़िता के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में **धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम** की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वादी की नाबालिग पुत्री उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों के मध्य प्रेम संबंध थे तथा वह उससे शादी करना चाहता था। लड़की के परिजनों द्वारा शादी से मना करने पर अभियुक्त दिनांक 25.07.2026 को नाबालिग को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया और वहां रहने लगा। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। काम की तलाश हेतु कोयल एन्कलेव के पास आया था तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. **अंकित कुमार पुत्र मनोज कुमार**, निवासी C-237, गली नं0 3, गगन विहार, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 15.08.2026 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान बुनकर मार्ट के सामने से 03 अभियुक्तगण 1. राजीव उर्फ राजू पुत्र ईश्वर सिंह नि0 रहीसपुर चावड वाला मोहल्ला थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष 2. चमन सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी रहीसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष 3. मुकेश पुत्र शंकर निवासी ईडब्ल्यूएस स्वर्णजयंतीपुरम थाना मधुबन बापूधाम उम्र 56 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 84 पव्वे देशी शराब (फ्रूटी) मिस इंडिया/मिस्टर जामुन मार्का के बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर मु0अ0सं0 255/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान एक स्वर में बताया कि साहब हम इन सब पव्वो को बेचने के लिये लेकर जा रहे थे जिसे हमने ठेके के पास से कल खरीदे थे, आज हम पैसों के लालच में शराब का ठेका बन्द होने के कारण इन पव्वो को बेचने निकले थे जिनको बेचकर हम खर्चे के लिये पैसे कमा लेते है और आपस में बराबर बराबर बाँट लेते है। साहब आपने हमें पकड़ लिया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- राजीव उर्फ राजू पुत्र ईश्वर सिंह नि0 रहीसपुर चावड वाला मोहल्ला थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।
2- चमन सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी रहीसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष।
3- मुकेश पुत्र शंकर निवासी ईडब्ल्यूएस स्वर्णजयंतीपुरम थाना मधुबन बापूधाम उम्र 56 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास।

1- कमि0 गाजियाबाद के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव उर्फ राजू उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर अन्तर्गत धारा 135 भा0वि0अधिनियम के 04 अभियोग (2) अन्तर्गत धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(v) एससी/एसटी व 323, 376, 504, 506 भादवि, थाना मधुबन बापूधाम पर 60 आबकारी अधिनियम, कुल 06 मुकदमे पंजीकृत है।
2- कमि0 गाजियाबाद के अन्तर्गत अभियुक्त चमन सिंह पुत्र जगत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग पंजीकृत है।
3- कमि0 गाजियाबाद के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश पुत्र शंकर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना मधुबन बापूधाम पर अन्तर्गत (1) 60 आबकारी अधिनियम के 05 मुकदमे। कुल 06 मुकदमें पंजीकृत है।

इस प्रकार गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण के विरुद्ध भिन्न-भिन्न थानों पर लगभग एक से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1. 84 पव्वे देशी शराब (फ्रूटी) मिस इंडिया/मिस्टर जामुन ब्राण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।